

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

—:: आदेश ::—

क्रमांक— 311 /दो—11—1/2022

बिलासपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2023

इस स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु गठित चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल-7 (28700—91300) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	चयनित अभ्यर्थी का पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
1	3	4	5	6
1	श्रेया देवांगन, पिता— श्री विजेन्द्र देवांगन	देवांगन मोहल्ला, जूना बिलासपुर, हटरी चौक, बिलासपुर (छत्तीगढ़)	अनारक्षित (महिला)	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
2	सागर देवांगन, पिता—श्री दिलेश देवांगन	देवांगन मोहल्ला, जूना बिलासपुर, बिलासपुर (छत्तीगढ़) 495001	अनारक्षित	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
3	पूजा देवांगन, पिता—श्री रामायण प्रसाद देवांगन	देवांगन मोहल्ला, किला वार्ड, जूना बिलासपुर, बिलासपुर (छत्तीगढ़) 495001	अनारक्षित	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
4	शुभम शर्मा, पिता— श्री कमलेश कुमार शर्मा	द्वारा श्री कमलेश कुमार शर्मा, ग्राम व पोस्ट—बैमा (नगोई), छाया—एस.ई.सी. एल., तह0 व जिला—बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495006	अनारक्षित	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
5	नीलिमा पिता— श्री दाताराम बरगाह	143, लखन कॉलोनी सुभाष वार्ड, भाटापारा, पोस्ट—भाटापारा, जिला— बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) 493118	अनारक्षित	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
6	डिकेश श्रीवास पिता— श्री लक्ष्मी प्रसाद श्रीवास	अपोलो रोड, दुर्ग नगर, लिंगियांडीह, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	अन्य पिछड़ा वर्ग	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
7	पूजा डहरे, पिता—श्री छबिलाल डहरे	मकान नंबर—45, वार्ड नंबर—44, गुरुघासीदास वार्ड, आजाद चौक, कसारीडीह, दुर्ग (छत्तीसगढ़) 491001	अनुसूचित जाति (महिला)	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
8	नंदिनी नेताम, पिता—श्री राम नेताम	तितुरडीह नयापारा, सुनील किराना स्टोर्स के पास, वार्ड नंबर—20, दुर्ग (छत्तीसगढ़) 491001	अनुसूचित जनजाति (महिला)	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)

नियुक्ति की शर्तें :-

1. परिवीक्षा अवधि में उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का कमशः 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा, परंतु परिवीक्षा अवधि में उन्हें स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर एवं उन्हें सेवा या पद पर स्थायी किये जाने के पश्चात् उनका वेतन उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जावेगा।
2. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जावेगा।
3. चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
4. अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
5. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
6. अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणित/तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित छायांप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
8. कार्यभार ग्रहण करते 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक 18-08-2023 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
10. यदि चयन/नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी/कूटरचित दस्तावेज आदि पाई जाए अथवा किसी विधि, नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति/सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
8.2.23

पृष्ठांकन क्रमांक- ४१९ / दो-११-१/२०२२
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक ०३ अगस्त, २०२३

१. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक-१९३१/तीन-१८-२९/२००८, बिलासपुर, दिनांक १२-०३-२०१३ के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
२. श्रेया देवांगन, पिता— श्री विजेन्द्र देवांगन, पता देवांगन मोहल्ला, जूना बिलासपुर, हटरी चौक, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
३. सागर देवांगन, पिता—श्री दिलेश देवांगन, पता देवांगन मोहल्ला, जूना बिलासपुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ४९५००१
४. पूजा देवांगन, पिता—श्री रामायण प्रसाद देवांगन, पता देवांगन मोहल्ला, किला वार्ड, जूना बिलासपुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ४९५००१
५. शुभम शर्मा, पिता— श्री कमलेश कुमार शर्मा, पता द्वारा श्री कमलेश कुमार शर्मा, ग्राम व पोस्ट—बैमा (नगोई), व्हाया—एस.ई.सी.एल., तह० व जिला—बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ४९५००६
६. नीलिमा पिता— श्री दाताराम बरगाह, पता १४३, लखन कॉलोनी सुभाष वार्ड, भाटापारा, पोस्ट—भाटापारा, जिला— बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) ४९३११८
७. डिकेश श्रीवास पिता— श्री लक्ष्मी प्रसाद श्रीवास, पता अपोलो रोड, दुर्ग नगर, लिंगियांडीह, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
८. पूजा डहरे, पिता—श्री छबिलाल डहरे, पता मकान नंबर-४५, वार्ड नंबर-४४, गुरुधासीदास वार्ड, आजाद चौक, कसारीडीह, दुर्ग (छत्तीसगढ़) ४९१००१
९. नंदिनी नेताम, पिता—श्री राम नेताम, पता तितुरडीह नयापारा, सुनील किराना स्टोर्स के पास, वार्ड नंबर-२०, दुर्ग (छत्तीसगढ़) ४९१००१
१०. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
११. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

३-४-२०२३
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)